

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/ 463 /30 प्रति.पदोन्नति/2022-23/दिनांक 18.08.2022

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली -2019 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/844/मा0न्या0प्र0/2019-20 दिनांक 15 अप्रैल 2019 पत्रांक/सेवाएं-2/19697/30 प्रतिशत/2019-20 दिनांक 05 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक/सेवाएं-2/अराज0/7455-57/30प्रति0 पदो/2022-23 दिनांक 25 जून 2022द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0, सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0/सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0/रा0आ0वि0 को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। औपबन्धिक श्रेणी के शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस कार्यालय द्वारा उनके मूल शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त उनका औपबन्धन समाप्त किया जायेगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी।

विषय- हिन्दी (सामान्य शाखा)							
क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुन्ती कौशल, स0अ0	रा0पू0मा0वि0 जयगांव	दुगड्डा	पौड़ी	11-03-1992	रा0इ0का0 चाक्यूसैण, द्वारीखाल, पौड़ी	औपबन्धिक पदोन्नति
2	देवेश्वरी गौड़, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 तोणजी पोखरी	पोखरी	चमोली	21-07-1992	रा0उ0मा0वि0 मसोली, पोखरी, चमोली	औपबन्धिक पदोन्नति
3	लज्जावती त्रिपाठी, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 गाडी	दशोली	चमोली	21-07-1992	रा0उ0मा0वि0 गाडी, दशोली, चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	मीना बिष्ट, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 श्रीकोट खण्डाह	खिर्सू	पौड़ी	21-07-1992	रा0इ0का0 नवाखाल, खिर्सू, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	देवेश्वरी कुंवर, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सेमडुंग्रा	दशोली	चमोली	21-07-1992	रा0इ0का0 कचटा गांगरौ, कालसी, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	डॉ. रत्ना मिश्रा, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जस्सोवाला	विकासनगर	देहरादून	27-07-1992	रा0उ0मा0वि0 मैन्द्रथ, चकराता, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	कुसुम ध्यानी, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 डाबरी,	थौलधार	टिहरी	11-09-1992	रा0इ0का0 खरसाडी, देवप्रयाग, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	सावित्री सजवाण, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 उनियाडा	उखीमठ	रुद्रप्रयाग	03-10-1992	रा0उ0का0 मक्कू मठ, उखीमठ, रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	सरिता पुण्डीर, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डीखाल	चम्बा	टिहरी	15-02-1993	रा0इ0का0 देवताधार, प्रतापनगर, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

1	2	3	4	5	6	7	8
10	कमला रावत, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कनखुल मल्ला,	कर्णप्रयाग	चमोली	01-09-1993	रा०उ०मा०वि० विरसण, पोखरी, चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	सुनीता नयानी, स०अ०	रा०क०उ०प्रा०वि० ० सेम	कर्णप्रयाग	चमोली	01-09-1993	रा०उ०मा०वि० मलेथा, चकराता, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	चन्द्रप्रभा नौटियाल, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मैड ठेली	दशोली	चमोली	01-09-1993	रा०उ०मा०वि० समोग, चकराता, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	अयोध्या प्रसाद तिवाडी, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० धारकुमाला	दशोली	चमोली	29-09-1993	रा०उ०मा०वि० चोपडा मल्ला, यमकेश्वर, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	अंजू रावत, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० हण्डुल	जयहरीखाल	पौडी	27-11-1993	रा०उ०मा०वि० बूचाखाल, जयहरीखाल, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	इन्दु बिष्ट, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० किरोड	देवप्रयाग	टिहरी	23-02-1995	रा०उ०मा०वि० कडूडबडा, द्वारीखाल, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
16	श्री पीताम्बर दत्त भट्ट, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० भेन्त	डुण्डा	उत्तरकाशी	28-02-1995	रा०इ०का० बडेथ, डुण्डा, उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	गौरी दत्त पाण्डेय, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० भंगेली	भटवाडी	उत्तरकाशी	28-02-1995	रा०उ०मा०वि० पाटा, भटवाडी, उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
18	सोहन लाल सेमवाल, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मथाली	चिन्यालीसौड	उत्तरकाशी	28-02-1995	रा०इ०का० ज्येष्ठवाडी, चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	औपबन्धिक पदोन्नति
19	जयप्रकाश बिजल्वण, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० चन्देली	पुरोला	उत्तरकाशी	28-02-1995	रा०उ०मा०वि० कन्ताडी, पुरोला, उत्तरकाशी	औपबन्धिक पदोन्नति
20	देवेश्वरी नेगी, स०अ०	रा०क०जू०हा० कुनकुली	दशोली	चमोली	07-03-1995	रा०इ०का० पगना, नन्दानगर, चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
21	उषा गौड, स०अ०	रा०पू०मा०वि० डोईवाला	डोईवाला	देहरादून	07-03-1995	रा०उ०मा०वि० अगरोडा, कल्जीखाल, पौडी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
22	दिनेश प्रसाद, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० पिलंग	भटवाडी	उत्तरकाशी	13-03-1995	रा०इ०का० गल्याखेत	औपबन्धिक पदोन्नति
23	सचितानन्द नौटियाल, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० इन्द्रोला	भिलंगना	टिहरी	13-03-1995	रा०उ०मा०वि० दोणी, भिलंगना, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
24	शशि प्रभा डिमरी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० डुंग्री	दशोली	चमोली	14-03-1995	रा०उ०मा०वि० दुर्मी, दशोली, चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
25	शिवप्रकाश सेलवाल, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मथाणा	दुगड्डा	पौडी	25-03-1995	रा०उ०मा०वि० बरसूडी, द्वारीखाल, पौडी	औपबन्धिक पदोन्नति
26	बसन्ती नेगी, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० झिंवाली	प्रतापनगर	टिहरी	31-03-1995	रा०इ०का० गालुडधार, प्रतापनगर, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

CA

1	2	3	4	5	6	7	8
27	पुष्पा शैली, स0अ0	रा0पू0मा0वि0 धारखोला	खिर्सू	पौड़ी	31-08-1995	रा0उ0मा0वि0 धारखोला, खिर्सू, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
28	योगेन्द्र प्रसाद सती, स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 मींग	नारायणबगड	चमोली	31-08-1995	रा0इ0का0 अमोला, द्वारीखाल, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
29	कुशलानन्द, स0अ0	रा0ज0हा0 डुंग्री, चोपडा	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग	01-01-1991	रा0उ0मा0वि0 क्वीली कुरझण, अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग	मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 27/डी.बी./2021 में पारित आदेश दिनांक 21 जुलाई 2022 के अनुपालन में पदोन्नति

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)


गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 5759-72 /30 प्रति. पदोन्नति/2022-23/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्ति की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 12- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित विषय का पद रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। तथा उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान- 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07 में कार्यरत हों।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) उक्त शिक्षकों के लिये नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (चार)(क) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।

- 13- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 14- एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय-महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।


(महावीर सिंह विष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
द गढ़वाल मण्डल पौड़ी